

**अध्याय – 1**

**सामान्य**

## अध्याय 1: सामान्य

### 1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1 वर्ष 2014-15 के दौरान हरियाणा सरकार द्वारा एकत्रित कर एवं कर-भिन्न राजस्व, वर्ष के दौरान भारत सरकार (भा.स.) से प्राप्त सहायता अनुदानों एवं राज्य को दिए गए विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध अर्थागमों के राज्य का हिस्सा तथा पूर्ववर्ती चार वर्षों के तदनुसूची आंकड़े तालिका 1.1.1 में उल्लिखित हैं।

**तालिका 1.1.1**  
**राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति**

(₹ करोड़ में)						
क्र.सं.	विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1	राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व					
	• कर राजस्व	16,790.37	20,399.46	23,559.00	25,566.60	27,634.57
	• कर-भिन्न राजस्व	3,420.94	4,721.65	4,673.15	4,975.06	4,613.12
	<b>योग</b>	<b>20,211.31</b>	<b>25,121.11</b>	<b>28,232.15</b>	<b>30,541.66</b>	<b>32,247.69</b>
2	भारत सरकार से प्राप्तियां					
	• विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध अर्थागमों का हिस्सा <sup>1</sup>	2,301.75	2,681.55	3,062.13	3,343.24	3,548.09
	• सहायता अनुदान	3,050.62	2,754.93	2,339.25	4,127.18	5,002.88
	<b>योग</b>	<b>5,352.37</b>	<b>5,436.48</b>	<b>5,401.38</b>	<b>7,470.42</b>	<b>8,550.97</b>
3	राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां (1 एवं 2)	25,563.68	30,557.59	33,633.53	38,012.08	40,798.66
4	1 की 3 से प्रतिशतता	79	82	84	80	79

उपर्युक्त तालिका दर्शाती है कि वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व (₹ 32,247.69 करोड़) कुल राजस्व प्राप्तियों का 79 प्रतिशत था। वर्ष 2014-15 के दौरान प्राप्तियों का शेष 21 प्रतिशत विभाज्य संघीय करों एवं सहायता अनुदानों के शुद्ध अर्थागमों के राज्य का हिस्सा भारत सरकार से था।

<sup>1</sup> विवरण हेतु कृपया विवरणी संख्या 14 देखें-वर्ष 2014-15 के लिए हरियाणा सरकार के वित्त लेखाओं में लघु शीर्षों द्वारा राजस्व के विस्तृत लेखे। शीर्ष 0021 के अन्तर्गत आंकड़े-निगम कर से अन्य आय पर कर-क के अन्तर्गत वित्त लेखाओं में बुक किए गए राज्य को दिए गए निवल अर्थागमों के हिस्से-कर राजस्व राज्य द्वारा एकत्रित राजस्व से निकाल दिए गए हैं तथा इस विवरणी में विभाज्य संघीय करों के राज्य के हिस्से में सम्मिलित किए गए हैं।

1.1.2 2010-11 से 2014-15 तक की अवधि के दौरान एकत्रित कर राजस्व के विवरण तालिका 1.1.2 में दिए गए हैं।

तालिका 1.1.2  
एकत्रित किए गए कर राजस्व के विवरण

(₹ करोड़ में)													
क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		2014-15		2014-15 में वृद्धि (+) या कमी (-) की प्रतिशतता	
		बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	2013-14 के वास्तविक पर 2014-15 के वास्तविक
1.	विक्रियों, व्यापार आदि पर कर / मूल्य वर्धित कर (वैट)	11,500.00	11,082.01	14,100.00	13,383.69	16,450.00	15,376.58	19,288.61	16,774.33	19,930.00	18,993.25	(-) 4.70	13.23
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	2,100.00	2,365.81	2,400.00	2,831.89	3,000.00	3,236.48	4,000.00	3,697.35	4,350.00	3,470.45	(-) 20.22	(-) 6.14
3.	स्टाम्पस एवं पंजीकरण फीस	1,900.00	2,319.28	2,350.00	2,793.00	3,000.00	3,326.25	3,850.00	3,202.48	3,950.00	3,108.70	(-) 21.30	(-) 2.93
4.	माल एवं यात्रियों पर कर	425.00	387.14	425.00	429.32	450.00	470.76	520.00	497.45	650.00	527.07	(-) 18.91	5.95
5.	वाहनों पर कर	350.00	457.36	515.00	740.15	750.00	887.29	850.00	1,094.86	1,175.00	1,191.50	1.40	8.83
6.	बिजली पर कर एवं शुल्क	140.00	130.27	155.00	166.43	160.00	191.96	201.40	219.20	232.25	239.74	3.22	9.37
7.	भू-राजस्व	13.79	10.02	16.09	10.95	15.28	12.98	19.33	12.42	13.50	15.28	13.19	23.03
8.	उपयोगी वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	40.50	38.48	45.80	44.03	48.00	56.70	55.00	68.51	74.00	88.58	19.70	29.29
	योग	16,469.29	16,790.37	20,006.89	20,399.46	23,873.28	23,559.00	28,784.34	25,566.60	30,374.75	27,634.57	(-) 9.02	8.09

उपर्युक्त तालिका दर्शाती है कि एकत्रित राजस्व कर 2010-11 में ₹ 16,790.37 करोड़ से बढ़कर 2014-15 में ₹ 27,634.57 करोड़ हो गया। वर्ष 2014-15 के दौरान बजट अनुमानों (ब.अ.) से वास्तविक आंकड़ों में नाममात्र कमी (9.02 प्रतिशत) है। संबंधित विभागों ने भिन्नता के लिए निम्नलिखित कारण सूचित किए:

- **स्टाम्पस एवं पंजीकरण फीस:** बजट अनुमानों से वास्तविक प्राप्तियों में कमी (21.30 प्रतिशत) अचल/चल सम्पत्ति के दस्तावेजों के कम पंजीकरण के कारण थी।
- **राज्य उत्पाद शुल्क:** प्राप्तियों में कमी (6.14 प्रतिशत) राष्ट्रीय राजमार्ग तथा राज्य राजमार्गों पर खुदरा शराब की दुकानों के स्थान पर मुकदमेबाजी के कारण थी।
- **माल एवं यात्रियों पर कर:** बजट अनुमानों से वास्तविक प्राप्तियों में कमी (18.91 प्रतिशत) दिनांक 06 जून 2014 की अधिसूचना के अंतर्गत ड्राईवर को छोड़कर तीन सीटों की क्षमता वाले आटो रिक्षा को प्रदान की गई यात्री कर की छूट तथा एक टन तक सकल वाहन भार वाले आटो रिक्षा को प्रदान की गई माल कर की छूट के कारण थी।
- **भू-राजस्व:** राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि (23.03 प्रतिशत) नामांतरण फीस, नकल फीस तथा राजस्व तलबाना<sup>2</sup> की अधिक वसूली के कारण थी।
- **उपयोगी वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क:** राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि (29.29 प्रतिशत) बेहतर मॉनीटरिंग तथा मनोरंजन शुल्क की वसूली के कारण थी।

1.1.3 2010-11 से 2014-15 तक की अवधि के दौरान एकत्रित किए गए कर-भिन्न राजस्व के विवरण तालिका 1.1.3 में इंगित किए गए हैं:

तालिका 1.1.3  
एकत्रित किए गए कर-भिन्न राजस्व के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		2014-15		2014-15 में वृद्धि (+) या कमी (-) की प्रतिशतता	
		बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	2013-14 के वास्तविक पर वास्तविक 2014-15
1.	शहरी विकास	700.00	974.54	1,300.00	1,039.35	1,150.00	990.70	1,200.00	1,104.54	1220.00	861.11	(-) 29.42	(-) 22.04
2.	सड़क परिवहन	900.00	761.72	1,100.00	852.96	1,150.00	999.87	1,315.00	1,097.54	1310.00	1235.31	(-) 5.70	12.55
3.	ब्याज प्राप्तियां	864.70	689.34	816.49	864.96	1,080.04	1,058.21 <sup>3</sup>	1,090.12	1,090.71	1142.51	933.59	(-) 18.29	(-) 14.41
4.	शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	154.40	270.37	299.47	295.72	386.41	385.43	438.14	318.94	527.83	564.48	6.94	76.99

<sup>2</sup> सम्मन भिजवाने हेतु प्रभार।

<sup>3</sup> सिंचाई परियोजना पूंजीगत ब्याज पर ब्याज के बुक समायोजन में ₹ 454.33 करोड़ सम्मिलित हैं।

वर्ष 2014-15 का प्रतिवेदन (राजस्व सेक्टर)

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		2014-15		2014-15 में वृद्धि (+) या कमी (-) की प्रतिशतता	
		बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान 2014-15 पर वास्तविक	2013-14 के वास्तविक पर वास्तविक 2014-15
5.	विविध सामान्य सेवाएं	1.78	(-) 9.75 <sup>1</sup>	1.04	128.49	1.30	312.30	5.89	268.37	30.00	20.38	(-) 32.07	(-) 92.41
6.	चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य	84.99	47.06	102.99	54.79	109.63	78.01	163.48	148.07	179.61	145.50	(-) 18.99	(-) 1.74
7.	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	200.00	82.59	75.00	75.53	225.00	75.49	150.00	79.10	500.00	43.46	(-) 91.31	(-) 45.06
8.	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	147.47	115.63	170.76	99.95	156.00	125.86	136.80	144.35	167.39	95.73	(-) 42.81	(-) 33.68
	बृहद् एवं मध्यम सिंचाई	188.44	202.26	142.44	583.16	194.56	139.12	213.68	95.04	156.50	129.27	(-) 17.40	36.02
	पुलिस	61.99	61.53	71.42	62.64	83.22	63.73	158.20	80.38	160.02	67.82	(-) 57.62	(-) 15.63
	वानिकी एवं वन्य जीवन	40.00	44.32	61.00	39.12	45.00	41.36	45.00	37.37	40.00	44.29	10.73	18.52
	अन्य कर-भिन्न प्राप्तियां	204.74	181.33	220.73	624.98	223.39	403.07	246.17	510.65	432.70	472.18	9.12	7.54
	योग	3,548.51	3,420.94	4,361.34	4,721.65	4,804.55	4,673.15	5,162.48	4,975.06	5,866.56	4613.12	(-) 21.37	(-) 7.28

उपर्युक्त तालिका दर्शाती है कि वर्ष 2014-15 के दौरान बजट अनुमानों से वास्तविक आंकड़ों में कमी (21.37 प्रतिशत) है। तथापि, संबंधित विभागों ने भिन्नता के लिए निम्नलिखित कारण सूचित किए:

- **शहरी विकास:** बजट अनुमानों से वास्तविक प्राप्तियों में कमी (29.42 प्रतिशत) लाईसेंस फीस, कनवर्सन चार्जिज तथा कंपोजिशन फीस की कम प्राप्ति के कारण थी।
- **पुलिस:** बजट अनुमानों से वास्तविक प्राप्तियों में कमी (57.62 प्रतिशत) रेलवे तथा चुनावों, कानून व्यवस्था के लिए तैनात की गई पुलिस से राशि की अप्राप्ति तथा फीस एवं जुर्माने की कम प्राप्ति के कारण थी।
- **वानिकी एवं वन्य जीवन:** बजट अनुमानों से वास्तविक प्राप्तियों में वृद्धि (10.73 प्रतिशत) वृक्षों की बिक्री से अधिक प्राप्तियों के कारण थी।
- **सड़क एवं परिवहन:** पिछले वर्षों से राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि (12.55 प्रतिशत) बसों तथा आवृत किलोमीटरों में वृद्धि के कारण थी।

- बृहद् एवं मध्यम सिंचाई: राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि (36.02 प्रतिशत) 2014 -15 के दौरान बकायों की वसूली के कारण थी।
- शहरी विकास: राजस्व प्राप्तियों में कमी (22.04 प्रतिशत) रियल एस्टेट मार्किट के साईकलीकल ट्रेंड के कारण थी।
- अन्य प्रशासनिक सेवाएं: राजस्व प्राप्तियों में कमी (33.68 प्रतिशत) जुर्मानों तथा अन्य प्राप्तियों की कम प्राप्ति के कारण थी।

अन्य विभागों ने अनुरोध किए जाने के बावजूद प्राप्तियों में भिन्नताओं के कारण सूचित नहीं किए (अगस्त 2015)।

## 1.2 राजस्व के बकायों का विश्लेषण

31 मार्च 2015 को राजस्व के कुछ प्रधान शीर्षों के संबंध में राजस्व के बकाया ₹ 8,206.76 करोड़ राशि के थे जिनमें से ₹ 5,896.28 करोड़ पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया थे जैसा कि तालिका 1.2 में वर्णित है।

तालिका 1.2  
राजस्व का बकाया

(₹ करोड़ में)				
क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	31 मार्च 2015 को बकाया राशि	31 मार्च 2015 को पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया राशि	विभाग के उत्तर
1.	बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट	7,443.04	5,611.64	उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा ₹ 438.80 करोड़ की वसूली स्थगित की गई थी, ₹ 58.47 करोड़ व्यापारियों के दिवालिया होने के कारण रोके गए थे, ₹ 71 करोड़ बट्टे खाते डालने हेतु प्रस्तावित थे, ₹ 768.81 करोड़ परिशोधन, समीक्षा तथा अपील के कारण रोके गए थे। सरकारी परिसमापक/औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) के पास लम्बित मामलों के कारण ₹ 193.88 करोड़ की वसूली बकाया थी। ₹ 7.35 करोड़ की वसूली किस्तों में की जा रही थी। ₹ 5,904.73 करोड़ की शेष राशि कार्रवाई के विभिन्न चरणों पर थी।
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	179.08	96.33	₹ 8.37 करोड़ की वसूली उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थागित की गई थी, ₹ 0.15 करोड़ बट्टे खाते डालने हेतु संभावित थे। सरकारी परिसमापक/बी.आई.एफ.आर. के पास लम्बित मामले के कारण ₹ 5.96 करोड़ बकाया थे। ₹ 5.20 करोड़ की वसूली किस्तों में की जा रही थी। ₹ 38.78 करोड़ की वसूली क्रमशः अन्तर्राज्य तथा अन्तर्जिले बकायों के कारण थी। ₹ 0.02 करोड़ समीक्षा/परिशोधन आवेदन के लिए रोके गए थे। शेष ₹ 120.60 करोड़ कार्रवाई के विभिन्न चरणों पर बकाया थे।

वर्ष 2014-15 का प्रतिवेदन (राजस्व सेक्टर)

(₹ करोड़ में)				
क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	31 मार्च 2015 को बकाया राशि	31 मार्च 2015 को पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया राशि	विभाग के उत्तर
3.	बिजली पर कर एवं शुल्क	159.35	111.98	₹ एक करोड़ मैसर्ज हरियाणा कनकास्ट, हिसार, ₹ 38 लाख मैसर्ज रामा फाईबरज, भिवानी, ₹ 30 लाख मैसर्ज दादरी सीमेंटस, चरखी दादरी तथा ₹ 16 लाख मैसर्ज कम्पिटेंट एलोइज, बल्लभगढ़ से वसूलनीय थे। ₹ 157.51 करोड़ दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (द.ह.बि.वि.नि.लि.)/उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (उ.ह.बि.वि.नि.लि.) के उपभोक्ताओं की ओर लम्बित थे।
4.	यात्री एवं माल पर कर	63.62	15.23	₹ 61.22 करोड़ की राशि कार्रवाई के विभिन्न चरणों पर तथा ₹ 2.32 करोड़ की राशि वसूली प्रमाण-पत्रों द्वारा आवृत्त की गई मांग के कारण बकाया थी तथा ₹ 27,000 की राशि बट्टे खाते डाली गई थी। ₹ 8 लाख की वसूली उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित की गई थी।
	स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर (स्थानीय क्षेत्र विकास कर)	218.24	28.96	₹ 165.11 करोड़ की वसूली उच्च न्यायालय, न्यायिक तथा विभागीय प्राधिकारियों द्वारा स्थगित की गई थी। ₹ 0.37 करोड़ की वसूली किस्तों में की जा रही थी। ₹ 52.76 करोड़ की शेष राशि कार्रवाई के विभिन्न चरणों पर बकाया थी।
5.	पुलिस	107.89	8.20	31 मार्च 2007 तक ₹ 7.38 करोड़ भारतीय तेल निगम से देय थे। हरियाणा राज्य में भारतीय तेल निगम से वसूली का मामला राज्य सरकार के स्तर पर लंबित है। ₹ 53 लाख कानून व्यवस्था तथा चुनाव ड्यूटी हेतु अन्य राज्यों से वसूलनीय थे। ₹ 29 लाख भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड (भा.ब्या.प्र.बो.), फरीदाबाद से वसूलनीय थे तथा ₹ 99.69 करोड़ चुनाव ड्यूटी हेतु अन्य राज्यों से वसूलनीय थे।
6.	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	10.75	2.96	₹ 7.34 करोड़ की वसूली उच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित की गई थी। ₹ 0.01 करोड़ बट्टे खाते डाले जाने संभावित थे। ₹ 3.40 करोड़ की शेष राशि कार्रवाई के विभिन्न चरणों पर थी।
7.	अलौह खनन एवं धातु कर्मिय उद्योग	24.79	20.98	₹ 16.02 करोड़ वसूली प्रमाण-पत्रों द्वारा आवृत्त मांग के कारण बकाया थे। ₹ 0.54 करोड़ की वसूली उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित की गई थी। ₹ 1.36 करोड़ बट्टे खाते डाले जाने संभावित थे। ₹ पांच करोड़ अन्तर्राज्य तथा अन्तरजिला बकायों के रूप में देय थे तथा ₹ 1.87 करोड़ कार्रवाई के विभिन्न चरणों पर बकाया थे।
	<b>योग</b>	<b>8,206.76</b>	<b>5,896.28</b>	

**1.3 कर - निर्धारणों में बकाया**

वर्ष के आरंभ में लंबित मामलों, कर-निर्धारण हेतु देय बने मामलों, वर्ष के दौरान निपटाए गए मामलों तथा वर्ष की समाप्ति पर अंतिमकरण हेतु लंबित मामलों की संख्या के विवरण जैसा कि आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा बिक्री कर, लगजरी कर, निर्माण सविदाओं पर कर तथा यात्री एवं माल कर (पी.जी.टी.) के संबंध में प्रस्तुत किए गए थे, नीचे तालिका 1.3 में दिए गए अनुसार थे।

**तालिका 1.3  
कर - निर्धारणों में बकाया**

राजस्व का शीर्ष	आरंभिक शेष	2014-15 के दौरान कर-निर्धारण हेतु देय नए मामले	कुल देय कर-निर्धारण	2014-15 के दौरान निपटाए गए मामले	वर्ष की समाप्ति पर शेष	निपटान की प्रतिशतता (कालम 4 से 5)
1	2	3	4	5	6	7
बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट	2,51,170	2,73,221	5,24,391	2,53,652	2,70,739	48
माल एवं यात्रियों पर कर	2,049	912	2,961	762	2,199	26

**1.4 विभाग द्वारा पता लगाए गए कर का अपवंचन**

आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा पता लगाए गए कर के अपवंचन के प्रकरणों, अन्तिमकृत मामलों तथा अतिरिक्त कर के लिए उठाई गई मांगों के विवरण, जैसा कि विभाग द्वारा सूचित किया गया था, तालिका 1.4 में दिए गए हैं।

**तालिका 1.4  
कर का अपवंचन**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	31 मार्च 2014 को लम्बित मामले	2014-15 के दौरान पता लगाए गए मामले	कुल	मामलों की संख्या जिनमें कर-निर्धारण/ जांच पड़ताल पूर्ण हुई तथा पेनल्टी इत्यादि सहित अतिरिक्त मांग उठाई गई		31 मार्च 2015 को अंतिमकरण हेतु लम्बित मामलों की संख्या
					मामलों की संख्या	मांग की राशि	
1	बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट	37	2,097	2,134	2,071	15.12	63
2	राज्य उत्पाद शुल्क	695	3,117	3,812	3,092	1.99	720
3	माल एवं यात्रियों पर कर	1,474	12,688	14,162	7,567	10.83	6,595
	<b>कुल</b>	<b>2,206</b>	<b>17,902</b>	<b>20,108</b>	<b>12,730</b>	<b>27.94</b>	<b>7,378</b>

तालिका से यह देखा जा सकता है कि वर्ष के आरंभ में लंबित मामलों की संख्या की तुलना में वर्ष की समाप्ति पर राज्य उत्पाद शुल्क के मामले में थोड़ी सी तथा माल एवं यात्रियों पर कर के मामले में अधिकता से वृद्धि हुई है।



### 1.5 रिफंड मामले

वर्ष 2014-15 के आरम्भ में लम्बित रिफंड मामलों, वर्ष के दौरान प्राप्त दावों, वर्ष के दौरान अनुमत रिफंडों तथा वर्ष 2014-15 के अन्त में लम्बित मामलों की संख्या, जैसा कि विभाग द्वारा सूचित किया गया, तालिका 1.5 में दी गई है।

तालिका 1.5  
रिफंड मामलों के विवरण

(₹ करोड़ में)					
क्र. सं.	विवरण	बिक्री कर/वैट		राज्य उत्पाद शुल्क	
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
1.	वर्ष के आरम्भ में बकाया दावे	526	50.09	45	0.59
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	2,516	786.62	43	3.33
3.	वर्ष के दौरान किए गए रिफंड	2,348	647.49	50	3.62
4.	वर्ष के अंत में बकाया शेष	694	189.22	38	0.30

बकाया मामलों की संख्या यह दर्शाती है कि बिक्री कर/वैट में नाममात्र वृद्धि तथा राज्य उत्पाद शुल्क में कमी हुई है।

### 1.6 लेखापरीक्षा के प्रति सरकार/विभागों का उत्तर

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा नियमों एवं प्रक्रियाओं में निर्धारित अनुसार लेन-देनों की नमूना-जांच एवं महत्वपूर्ण लेखाओं एवं अन्य अभिलेखों के अनुरक्षण के सत्यापन हेतु सरकारी विभागों का आवधिक निरीक्षण करता है। ये निरीक्षण, निरीक्षण के दौरान पता लगाई गई तथा स्थल पर समायोजित न की गई अनियमितताओं को सम्मिलित कर निरीक्षण प्रतिवेदनों (नि.प्र.) से अनुवर्तित किए जाते हैं, जो निरीक्षित कार्यालयों के प्रमुखों को, अगले उच्चतर प्राधिकारियों को प्रतियों सहित, शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई करने हेतु, जारी किए जाते हैं। कार्यालयाध्यक्षों/सरकार द्वारा, निरीक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित अभ्युक्तियों की शीघ्र अनुपालना की जानी, त्रुटियों एवं चूकों का सुधार किया जाना तथा निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किए जाने की तिथि से चार सप्ताह के अन्दर प्रधान महालेखाकार को प्रारम्भिक उत्तर के माध्यम से अनुपालना सूचित की जानी अपेक्षित है। गंभीर वित्तीय अनियमितताएं, विभागाध्यक्षों तथा सरकार को सूचित की जाती हैं।

दिसम्बर 2014 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों ने प्रकट किया कि जून 2015 के अन्त में 1,966 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित ₹ 3,489.99 करोड़ से आवेष्टित 4,911 अनुच्छेद बकाया रहे। जैसा कि पूर्ववर्ती दो वर्षों के तदनुसूची आंकड़ों के साथ नीचे तालिका 1.6 में उल्लिखित है।

तालिका 1.6  
लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों के विवरण

(₹ करोड़ में)			
	जून 2013	जून 2014	जून 2015
निपटान हेतु लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	1,890	1,919	1,966
बकाया लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की संख्या	4,464	4,579	4,911
आवेष्टित राजस्व की राशि (₹ करोड़ में)	1,871.65	3,084.83	3,489.99

1.6.1 30 जून 2015 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों और आवेष्टित राशि के विभाग-वार विवरण तालिका 1.6.1 में दिए गए हैं।

तालिका 1.6.1  
निरीक्षण प्रतिवेदनों के विभाग-वार विवरण

(₹ करोड़ में)					
क्र. सं.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	बकाया नि.प्र. की संख्या	बकाया लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की संख्या	आवेष्टित धन मूल्य
1.	आबकारी एवं कराधान	बिक्री कर/वैट	276	1,911	3,200.77
		राज्य उत्पाद शुल्क	132	263	144.82
		माल एवं यात्रियों पर कर	186	328	20.17
		मनोरंजन शुल्क एवं प्रदर्शन कर	18	20	10.95
2.	राजस्व	स्टॉम्प एवं पंजीकरण फीस	864	1,786	77.17
		भू-राजस्व	120	159	0.43
3.	परिवहन	वाहनों पर कर	256	300	12.49
4.	विद्युत	बिजली पर कर एवं शुल्क	1	1	0.04
5.	खदान एवं भू-विज्ञान	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	113	143	23.15
योग			1,966	4,911	3,489.99

2014-15 के दौरान जारी किए गए 155 निरीक्षण प्रतिवेदनों के लिए निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्राप्ति की तारीख से चार सप्ताह के अंदर कार्यालयों के अध्यक्षों से प्रथम उत्तर भी लेखापरीक्षा को प्राप्त नहीं हुए। उत्तरों की अप्राप्ति के कारण निरीक्षण प्रतिवेदन की यह बृहद लम्बनता इस तथ्य का सूचक थी कि कार्यालयों तथा विभागों के अध्यक्ष निरीक्षण प्रतिवेदन में प्रधान महालेखाकार द्वारा इंगित की गई त्रुटियों, चूकों तथा अनियमितताओं को दूर करने के लिए कार्रवाई आरंभ नहीं की।

सरकार, लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के शीघ्र एवं उपयुक्त उत्तर हेतु प्रभावी प्रणाली स्थापित करने के लिए विचार कर सकती है।

### 1.6.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

सरकार ने निरीक्षण प्रतिवेदन तथा निरीक्षण प्रतिवेदन में अनुच्छेदों के समायोजन की प्रगति को मानीटर एवं तीव्र करने के लिए लेखापरीक्षा समितियां गठित की। वर्ष 2014-15 के दौरान आयोजित लेखापरीक्षा समिति की बैठकों तथा समायोजित किए गए अनुच्छेदों के विवरण तालिका 1.6.2 में उल्लिखित हैं।

तालिका 1.6.2  
विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के विवरण

(₹ करोड़ में)				
क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	आयोजित बैठकों की संख्या	निपटाए गए अनुच्छेदों की संख्या	राशि
1	आबकारी एवं कराधान विभाग (बिक्री कर)	6	248	56.96
2	परिवहन विभाग	4	211	3.67
3	राजस्व विभाग	1	1	0.01
	योग	11	460	60.64

### 1.6.3 लेखापरीक्षा को जांच के लिए अभिलेखों का अप्रस्तुतिकरण

रिफंड मामले, वर्ष 2014-15 के दौरान, ₹ 908.44 करोड़ के कर प्रभाव से आवेष्टित 1,618 कर-निर्धारण फाईलें, रिटर्नस, रिफंड रजिस्टर तथा अन्य संबंधित अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाए गए थे। इन मामलों का विघटन तालिका 1.6.3 में दिया गया है।

तालिका 1.6.3  
अभिलेखों के अप्रस्तुतिकरण के विवरण

(₹ करोड़ में)			
कार्यालय/विभाग का नाम	वर्ष, जिसमें इसकी लेखापरीक्षा की जानी थी	लेखापरीक्षा न किए गए मामलों की संख्या	कर की राशि/रिफंड
कर-निर्धारण मामले			
डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) फरीदाबाद (पूर्व)	2014-15	59	15.42
डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) गुड़गांव (पूर्व)	2014-15	79	34.67
रिफंड मामले			
11 डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) <sup>5</sup>	2014-15	1,480	858.35
	योग	1,618	908.44

<sup>5</sup> अंबाला, फतेहाबाद, फरीदाबाद (पूर्व), फरीदाबाद (पश्चिम), गुड़गांव (पूर्व), गुड़गांव (पश्चिम), कैथल, करनाल, कुरूक्षेत्र, सिरसा तथा सोनीपत।

#### 1.6.4 प्रारूप लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर विभागों के उत्तर

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल करने हेतु प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा अनुच्छेद, प्रधान महालेखाकार द्वारा संबंधित विभागों के प्रधान सचिवों/अपर मुख्य सचिवों को लेखापरीक्षा परिणामों की ओर उनका ध्यान आकर्षित करते हुए तथा छः सप्ताह के भीतर उनके उत्तर भेजने का अनुरोध करते हुए अग्रेषित किए जाते हैं। विभागों/सरकार से उत्तरों की अप्राप्ति के तथ्यों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित ऐसे अनुच्छेदों के अन्त में निरपवाद रूप से इंगित किया जाता है।

संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिवों को फरवरी तथा अगस्त 2015 के मध्य एक निष्पादन लेखापरीक्षा सहित 30 प्रारूप अनुच्छेद भेजे गए थे। प्राप्त विभागीय उत्तरों को उपयुक्त रूप से सम्मिलित कर लिया गया था।

#### 1.6.5 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्तन-संक्षेपित स्थिति

वित्त विभाग द्वारा अक्टूबर 1995 में जारी किए गए तथा जुलाई 2001 में दोहराए गए निर्देशों के अनुसार यह निर्धारित किया गया था कि विधानसभा में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के प्रस्तुतिकरण के पश्चात् विभाग लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर कार्रवाई आरंभ करेंगे तथा समिति के विचार हेतु प्रतिवेदन को पटल पर रखने के तीन माह के भीतर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई व्याख्यात्मक टिप्पणियां (कृ.का.व्या.टि.) प्रस्तुत करनी चाहिए। इन प्रावधानों के बावजूद प्रतिवेदनों के लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर व्याख्यात्मक टिप्पणियां विलंबित की जा रही थी। 31 मार्च 2011, 2012, 2013 तथा 2014 को समाप्त वर्ष हेतु हरियाणा सरकार के राजस्व सेक्टर पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में शामिल किए गए 85 अनुच्छेद (निष्पादन लेखापरीक्षा सहित) मार्च 2012 तथा मार्च 2015 के मध्य राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे। इन अनुच्छेदों पर संबंधित विभागों से कृ.का.व्या.टि. इन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रत्येक के संबंध में 36 माह के औसत विलंब के साथ देरी से प्राप्त हुई थी। 31 मार्च 2011 से 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के लिए चार विभागों (आबकारी एवं कराधान, परिवहन, राजस्व तथा खदान एवं भू-विज्ञान) से 53 अनुच्छेदों के संबंध में कृ.का.व्या.टि., जैसा अनुलग्नक I में उल्लिखित है, अभी तक प्राप्त नहीं हुई थी (मई 2015)।

लोक लेखा समिति ने वर्ष 2009-10 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित 21 चयनित अनुच्छेदों पर चर्चा की तथा 21 अनुच्छेदों पर इसकी सिफारिशें वर्ष 2014-15 की उनकी 71वीं रिपोर्ट में शामिल की गई थी। लोक लेखा समिति की 22वीं से 71वीं रिपोर्ट में शामिल 1979-80 से 2009-10 की अवधि से संबंधित 820 सिफारिशें, जैसा कि अनुलग्नक II एवं III में उल्लिखित है, संबंधित विभागों द्वारा अंतिम सुधारात्मक कार्रवाई किए जाने के अभाव में अभी तक लंबित थी।

## 1.7 लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मामलों से निपटने के लिए यंत्रावली का विश्लेषण

विभागों/सरकार द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में बताए गए मामलों का जवाब देने की प्रणाली का विश्लेषण करने के लिए एक विभाग के संबंध में गत 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनुच्छेदों तथा निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर की गई कार्रवाई इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में मूल्यांकित एवं सम्मिलित की गई है।

अनुवर्ती अनुच्छेदों 1.7.1 से 1.7.2 में राजस्व शीर्ष-0030 के अंतर्गत स्टॉम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस (राजस्व तथा आपदा प्रबंधन विभाग) के निष्पादन तथा वर्ष 2004-05 से 2013-14 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित गत 10 वर्षों के दौरान की गई स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान पता लगाए गए मामलों पर चर्चा करते हैं।

### 1.7.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

गत 10 वर्षों के दौरान राजस्व तथा आपदा प्रबंधन विभाग को जारी किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों, इन प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनुच्छेदों की संक्षेपित स्थिति तथा 31 मार्च 2015 को उनकी स्थिति नीचे तालिका 1.7.1 में उल्लिखित हैं।

तालिका 1.7.1  
निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

वर्ष	आरम्भिक शेष			वर्ष के दौरान वृद्धि			वर्ष के दौरान निपटान			वर्ष के दौरान अंत शेष		
	नि.प्र.	अनुच्छेद	धन मूल्य	नि.प्र.	अनुच्छेद	धन मूल्य	नि.प्र.	अनुच्छेद	धन मूल्य	नि.प्र.	अनुच्छेद	धन मूल्य
2005-06	923	2292	32.26	105	295	12.14	5	156	2.77	1023	2431	41.63
2006-07	1023	2431	41.63	107	413	12.47	92	286	1.72	1038	2558	52.38
2007-08	1038	2558	52.38	140	436	9.15	191	754	21.35	987	2240	40.18
2008-09	987	2240	40.18	161	304	17.80	213	388	4.76	935	2156	53.22
2009-10	935	2156	53.22	117	325	12.49	74	306	10.23	978	2175	55.48
2010-11	978	2175	55.48	106	276	12.11	177	450	7.42	907	2001	60.17
2011-12	907	2001	60.17	97	328	12.52	222	650	17.68	782	1679	55.01
2012-13	782	1679	55.01	89	220	8.58	70	210	7.44	801	1689	56.15
2013-14	801	1689	56.15	89	207	15.23	26	110	1.71	864	1786	69.67
2014-15	864	1786	69.67	89	314	22.43	25	107	3.20	928	1993	88.90

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि 31 मार्च 2015 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या 928 तक बढ़ गई तथा अनुच्छेदों की संख्या 1,993 तक घट गई। तथापि, सरकार, शेष पुराने अनुच्छेदों के समायोजन के लिए विभाग तथा प्रधान महालेखाकार के कार्यालय के मध्य तदर्थ समिति की बैठकें आयोजित करने की व्यवस्था करती है।

### 1.7.2 स्वीकृत मामलों में वसूली

गत 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनुच्छेदों, जो विभाग द्वारा स्वीकृत किये गये तथा वसूली गई राशि की स्थिति तालिका 1.7.2 में दी गई है:

तालिका 1.7.2  
स्वीकृत मामलों की वसूली

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	सम्मिलित अनुच्छेदों की संख्या	अनुच्छेद का धन मूल्य	स्वीकृत अनुच्छेदों की संख्या	स्वीकृत अनुच्छेदों का धन मूल्य	वर्ष के दौरान वसूली गई राशि	स्वीकृत मामलों की वसूली की संचयी स्थिति
2004-05	04	1.47	04	1.47	शून्य	शून्य
2005-06	03	7.25	03	7.25	0.11	0.11
2006-07	03	0.34	03	0.34	0.01	0.01
2007-08	04 01 (समीक्षा)	1.70 24.69	04 01 (समीक्षा)	1.70 15.11	शून्य	0.01
2008-09	05	0.76	05	0.76	0.01	0.06
2009-10	01 (समीक्षा)	22.85	01 (समीक्षा)	20.96	0.12	2.44
2010-11	06	5.49	06	5.49	0.02	0.09
2011-12	06	4.13	06	4.13	शून्य	0.38
2012-13	07	65.27	07	65.27	0.13	0.17
2013-14	06 01 (आई.टी. लेखापरीक्षा)	18.30 203.87	06 01 (आई.टी. लेखापरीक्षा)	18.30 203.87	0.01 शून्य	0.01 शून्य
योग	44 03 (समीक्षा / आई.टी. लेखापरीक्षा)	104.71 251.41	44 03 (समीक्षा / आई.टी. लेखापरीक्षा)	104.71 239.94	0.29 0.12	3.28
कुल योग	47	356.12	47	344.65	0.41	3.28

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि गत दस वर्षों के दौरान स्वीकृत मामलों में भी वसूली की प्रगति बहुत कम (0.95 प्रतिशत) थी।

विभाग स्वीकृत मामलों में आवेष्टित देयों की शीघ्र वसूली का अनुसरण तथा मानीटर करने हेतु शीघ्र कार्रवाई कर सकता है।

### 1.8 विभाग/सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशों पर की गई कार्रवाई

प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार द्वारा की गई समीक्षाएं/आई.टी. लेखापरीक्षा संबंधित विभाग/सरकार को उनकी सूचना हेतु उनके उत्तर प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ अग्रेषित की जाती हैं। इन समीक्षाओं/आई.टी. लेखापरीक्षा पर एगजिट कांफ्रेंस में भी चर्चा की गई थी तथा विभागों/सरकार के विचार, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के लिए समीक्षाओं/आई.टी. लेखापरीक्षा को अन्तिम रूप देते समय शामिल किए गए थे।

वर्ष 2013-14 के प्रतिवेदन में दर्शाई गई राजस्व विभाग, हरियाणा की 'हरियाणा पंजीकरण सूचना प्रणाली' (हैरिस) नामक आई.टी. लेखापरीक्षा के साथ चार सिफारिशों पर अभी लोक लेखा समिति में चर्चा की जानी थी।

### 1.9 आंतरिक लेखापरीक्षा

वित्त विभाग का विभिन्न विभागों में अधीनस्थ लेखा सेवा पास कार्मिकों की तैनाती/नियुक्ति पर समग्र प्रशासनिक नियंत्रण है। संबंधित विभाग, अधिनियम तथा नियमों के प्रावधानों तथा समय-समय पर जारी विभागीय अनुदेशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा की कार्ययोजना के प्रतिपादन एवं निष्पादन के लिए उत्तरदायी हैं।

वर्ष 2014-15 के दौरान लेखापरीक्षा हेतु प्लान किए गए 271 यूनिटों में से आंतरिक लेखापरीक्षा कक्ष ने 229 यूनिटों (85 प्रतिशत) की लेखापरीक्षा की जैसा कि तालिका 1.9 में विवरण दिया गया है।

तालिका 1.9  
आंतरिक लेखापरीक्षा

प्राप्तियां	प्लान किए गए यूनिटों की संख्या	लेखापरीक्षा किए गए यूनिटों की संख्या
स्टाम्प शुल्क	130	130
राज्य उत्पाद शुल्क	21	12
वैट/बिक्री कर	21	शून्य
मोटर वाहन कर	78	78
यात्री एवं माल कर	21	9
<b>योग</b>	<b>271</b>	<b>229</b>

अध्याय 2 से 6 के अनुच्छेदों में चर्चा की गई अनियमितताएं अप्रभावी आंतरिक नियंत्रण यंत्रावली की सूचक हैं क्योंकि हमारे द्वारा इंगित की गई अनियमितताओं में से कोई भी आंतरिक लेखापरीक्षा दलों द्वारा पता नहीं लगाई गई थी। आबकारी एवं कराधान विभाग (बिक्री कर/वैट तथा मनोरंजन शुल्क) द्वारा कोई आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी तथा विभाग द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा न कराए जाने के कारण प्रदान नहीं किए गए थे।

### 1.10 लेखापरीक्षा आयोजना

विभिन्न विभागों के अधीन यूनिट कार्यालयों को उनकी राजस्व स्थिति, लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों तथा अन्य मानदंडों की विगत प्रवृत्तियों के अनुसार उच्च, मध्यम तथा कम जोखिम में वर्गीकृत किया जाता है। वार्षिक लेखापरीक्षा योजना जोखिम विश्लेषण के आधार पर तैयार की जाती है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, सरकारी राजस्वों तथा कर-प्रबन्ध में गंभीर मामले अर्थात् बजट भाषण, राज्य वित्तों पर श्वेत-पत्र, वित्त आयोग (राज्य तथा केन्द्रीय) के प्रतिवेदन, कराधान सुधार समिति की सिफारिशें, गत पांच वर्षों के दौरान अर्जित राजस्व का सांख्यिकीय विश्लेषण, कर-प्रबन्ध के घटक, गत पांच वर्षों के दौरान लेखापरीक्षा की व्याप्ति तथा इसका प्रभाव इत्यादि शामिल होते हैं।

वर्ष 2014-15 के दौरान 619 लेखापरीक्षा योग्य यूनिट थे, जिनमें से 319 (राजस्व 280 + व्यय 39) यूनिटों की योजना बनाई गई तथा लेखापरीक्षा की गई थी।

### 1.11 लेखापरीक्षा के परिणाम

#### वर्ष के दौरान की गई स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर, राज्य उत्पाद शुल्क, स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस, मोटर वाहन, माल एवं यात्री तथा अन्य विभागीय कार्यालयों की 319 (राजस्व 280 + व्यय 39) यूनिटों के अभिलेखों की वर्ष 2014-15 के दौरान की गई नमूना-जांच ने 3,89,086 मामलों में कुल ₹ 2,677.30 करोड़ के राजस्व के अवनिर्धारण/कम उद्ग्रहण/हानि प्रकट की। वर्ष के दौरान संबंधित विभागों ने 5,993 मामलों में आवेष्टित ₹ 394.96 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य त्रुटियां स्वीकार की जो 2014-15 के दौरान लेखापरीक्षा में इंगित किए गए थे। विभागों ने वर्ष 2014-15 के दौरान 201 मामलों में ₹ 6.62 करोड़ संगृहीत किए थे।

### 1.12 इस प्रतिवेदन की कवरेज

इस प्रतिवेदन में ₹ 407.87 करोड़ के वित्तीय प्रभाव से आवेष्टित 'वैट के अंतर्गत कर - निर्धारण की प्रणाली' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा तथा 23 अनुच्छेद शामिल हैं।

विभागों/सरकार ने ₹ 387.46 करोड़ से आवेष्टित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां स्वीकार की जिनमें से आठ अनुच्छेदों में ₹ 5.75 करोड़ वसूल किए गए थे। इन पर अनुवर्ती अध्याय 2 से 6 तक में चर्चा की गई है।